राजस्व अपील संख्या 380/2022
अनवान
मुलतान राम बनाम तहसीलदार बावडी

दिनांक 26–7–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित आदेश कमांक केम्प/2021/63 दिनांक 11–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक केम्प/2021/63 दिनांक 11–10–2021 तथा अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया गया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक केम्प/2021/63 दिनांक 11–10–2021के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। मौके पर चल रहे कदमी रास्ते को बंद नही किया जावे संबंधित तहसीलदार नियमानुसार इसकी सुनिश्चितता करे। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त,
जोधपुर